न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 114/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 19.09.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. स्वर्ण सिंह उर्फ कालू आ0 करनेल सिंह, जाति जटसिक्ख, निवासी केशोरायपाटन, हा0 नि0 203 पहुच मार्ग प्रो0शा0 क्षैत्र वार्ड नं0 12 ग्राम बाडीकलॉ बख्तरा रोड़, तह0 बरेली, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)

...अपीलांट

बनाम

1 दलवीर सिंह आ0 करनेल सिंह, जाति जटसिक्ख, निवासी केशोरायपाटन, हा0 नि0 203 पहुच मार्ग प्रो0शा0 क्षैत्र वार्ड नं0 12 ग्राम बाडीकलॉ बख्तरा रोड़, तह0 बरेली, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)
2 सलक्खन सिंह आ0 करनेल सिंह, जाति जटसिक्ख, निवासी केशोरायपाटन, हा0 नि0 203 पहुच मार्ग प्रो0शा0 क्षैत्र वार्ड नं0 12 ग्राम बाडीकलॉ बख्तरा रोड़, तह0 बरेली, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)
3 मन्नी बाई पत्नि भंवरलाल, जाति जट, निवासी ग्राम इन्द्रपुरिया तहसील केशोरायपाटन, जिला बूंदी
4 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाट
श्री सुनील दाधीच अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 05.03.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (सिलिंग), बूंदी, जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 02/अपील/2015 दलवीर सिंह बनाम स्वर्ण सिंह वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2017 (संक्षेप मे प्रथम अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) ने रेस्पो0 क्रम सं0 1 दलवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर तहसीलदार केशोरोयपाटन के ग्राम केशोरायपाटन का नामान्तरकरण सं0 1031 दिनांक 04.04.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसील में प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान किए। जिससे व्यथीत होकर अपीलांट स्वर्णसिंह द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय से पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून न्याय तथा तथ्यों के सर्वथा विपरित हैं। अपीलांट के पिता करनेल सिंह आत्मज स्व0 भूरसिंह का फौती नामान्तरकरण 1031 दि 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन अपीलांट के पक्ष में सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि अपीलांट के पिता करनेल सिंह के शामलाती खाते में 3 किता की कुल 2.90 है0 भूमि स्थिति है, जिसमें से अपीलांट के पिता का 1/2 हिस्सा है एवं उपरोक्त भूमि अपीलांट के पिता की स्वअर्जित खरीदशुदा है। इसके उपरांत भी

अधीनस्थ न्यायालय ने पुश्तैनी आराजी होने अथवा नहीं होने के संबंध में जांच करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2006 के क्रम में नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन तस्दीक किया गया है। उक्त मूल आदेश को चेलेन्ज किये बिना ही उसकी पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1031 के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अपीलांट के पिता करनेल सिंह द्वारा स्वंयं दो गवाहान की हस्ताक्षर एवं उपस्थिति में निशानी अंगूठा लगाकर अपीलांट के पक्ष में उनकी वसीयतनामे में वर्णित उक्त आराजी के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 06.07.2004 को निष्पादित किया गया। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2006 हो जाने के उपरांत भी अपीलांट स्वयं उनके हिस्से व खाते के भूमि पर काबिज है एवं वसीयती उत्तराधिकारी होने से बाद जांच उक्त आराजी वसीयत के आधार पर अपीलांट के खाते जरिये नामान्तरकरण के सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है। साथ ही फौती नामान्तरकरण की कार्यवाही में कब्जे का प्रश्न असंगत होने पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय प्रदान करने में त्रुटि की है। रेस्पो0 क्र0 1 ने उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन के न्यायालय में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध दावा वर्ष 2015 में ही प्रस्तुत कर दिया था, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। रेस्पो0 क्र0 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर हुक्म जेरअपील पारित करवाया है, जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2017 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन यथावत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि अपीलांट के पिता करनेल सिंह आत्मज स्व0 भूरसिंह का फौती नामान्तरकरण 1031 दि 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन अपीलांट के पक्ष में सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया है। अपीलांट के पिता करनेल सिंह द्वारा स्वंयं दो गवाहान की हस्ताक्षर एवं उपस्थिति में निशानी अंगूठा लगाकर अपीलांट के पक्ष में उनकी वसीयतनामे में वर्णित उक्त आराजी के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 06.07.2004 को निष्पादित किया गया। तहसीलदार के0 पाटन द्वारा आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2006 के अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन अपीलांट स्वयं के वसीयती उत्तराधिकारी होने से बाद जांच उक्त आराजी वसीयत के आधार पर अपीलांट के खाते जरिये नामान्तरकरण के सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि रेस्पो0 क्र0 1 दलवीर सिंह ने उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन के न्यायालय में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध दावा वर्ष 2015 में ही प्रस्तुत कर दिया था, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। साथ ही कोई भी पक्षकार दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों में समानांतर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। रेस्पो0 क्र0 1 दलवीर सिंह द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2017 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन यथावत रखे जाने का अनुरोध किया। अपने तर्क के समर्थन में 1988 आरआरडी पेज 628, 2005ाा आरआरटी पेज 774, 1993 आरआरडी पेज 615, 2017 आरबीजे पेज 334 एवं 2013 आरबीजे पेज 77 का न्यायिक उद्धरण पेश किये।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी भूमि रकबा 2.90 है0 ग्राम के0पाटन में 1/2 के हिस्सेदार करनेल सिंह थे। करनेल सिंह का देहांत दिनांक 09.05.2006 को हो जाने के पश्चात् अपीलांट स्वर्ण सिंह ने अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर करनेल सिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम तस्दीक करवा लिया। जबकि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसमें समस्त वारिसान का हित निहित हैं। उक्त नामान्तरकरण 1031 दिनांक 04.04.2007 स्व0 करनेल सिंह के विधिक वारिसान/प्रभावित पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना जांच के तस्दीक किया गया है। जबकि प्रश्नगत नामान्तकरण के संबंध में कानूगो वृत के0पाटन द्वारा दिनांक 06.11.2006 को दो नोट 'वसीयत पंजीबद्ध नहीं है' तथा 'नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार के यहां सुनवाई आवश्यक है, तत्पश्चात् ही नामान्तकरण स्वीकार योग्य है', अंकित किये गए है। उक्त नोट की कोई पालना नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व नहीं की गई हैं। साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट एवं रिकोर्ड पत्रावली में ऐसा कोई मूल आदेश है ही नहीं, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1031 तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर विवादित आराजी के पैतृक होने अथवा न होने की जांच कर उभयपक्ष की सुनवाई कर नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रेतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित हैं। अतः अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 2009 पेज नं0 183 से पेज 186 न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम सं0 1 दलवीर सिंह की अपील स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार केशोरोयपाटन के ग्राम केशोरायपाटन का नामान्तरकरण सं0 1031 दिनांक 04.04.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसील में प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान किए। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट स्वर्णसिंह द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की गई। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट के पिता करनेल सिंह के शामलाती खाते में 3 किता की 2.90 है0 भूमि स्थिति थी, जिसमें अपीलांट के पिता का 1/2 हिस्सा है एवं स्वअर्जित खरीदशुदा हैं। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2006 हो जाने के उपरांत परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2006 के अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 04.04.2007 ग्राम केशोरायपाटन वसीयती उत्तराधिकारी होने से बाद जांच उक्त आराजी वसीयत के आधार पर अपीलांट के खाते जरिये नामान्तरकरण के सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का उक्त तर्क प्रश्नगत अपील प्रकरण मे स्वीकार योग्य नहीं हैं। नामान्तकरण संख्या 1031 अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है। प्रकरण मुख्यतया मृतक खातेदार करनेल सिंह के विधिक वारिसान से संबंधित है। मृतक खातेदार के तीन पुत्र दलवीर सिंह, सलक्खन सिंह एवं स्वर्णसिंह हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसमें समस्त वारिसान का हित निहित हैं। प्रश्नगत नामान्तरकरण 1031 दिनांक 04.04.2007 स्व0 करनेल सिंह के विधिक वारिसान/प्रभावित पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना जांच के तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। प्रश्नगत नामान्तकरण के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक

वृत के0पाटन द्वारा दिनांक 06.11.2006 को दो नोट 'वसीयत पंजीबद्ध नहीं है' तथा 'नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार के यहां सुनवाई आवश्यक है, तत्पश्चात् ही नामान्तकरण स्वीकार योग्य है', अंकित किये गए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में ऐसा कोई मूल आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1031 तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं0 1031 निर्णय दिनांक 04.04.2007 को निरस्त कर विवादित आराजी के पैतृक होने अथवा न होने की जांच कर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार के0पाटन को प्रेतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना प्रकट होता है। उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 02/अपील/15 बउनवान दलवीर सिंह बनाम स्वर्णसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.8.2017 मे विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा